न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
009/2020 (रे.अ.) (GCMS 2020/00258)	03.07.2020	20.10.2021

अनवान

बाली बेवा नारायण जटिया (चमार) उम्र वयस्क निवासी ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट

बनाम

1 शंकरी पुत्री नारायण जटिया (चमार) उम्र वयस्क निवासी ओडून्द हाल सहनवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2 हजारी पिता मोती जटिया उम्र वयस्क निवासी ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ मृतक के बजाय :–

2/1 लेहरू पिता हजारी जटिया उम्र वयस्क निवासी ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2/2 प्रतापी पत्नि नंदराम जटिया उम्र वयस्क निवासी ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

3 रघुनाथ पिता मोती जटिया उम्र वयस्क निवासी ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

4 कालु पिता मोतीलाल जटिया उम्र वयस्क निवासी ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

5 बगदीराम पिता उंकार चमार उम्र वयस्क निवासी ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

6 देबिया पिता उंकार चमार उम्र वयस्क निवासी ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

7 कमला पुत्री उंकार चमार उम्र वयस्क निवासी ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

8 पंजाब नेशनल बैंक शाखा घोसुण्डा जरिये प्रबंधक महोदय तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

9 भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़।

रेस्पोर्डेन्ट्स

उपस्थिति :– भैरूलाल गुर्जर — अधिवक्ता अपीलांट
एक तरफा — रेस्पोर्डेंट संख्या 1 से 8
भैरूलाल सालवी — राजकीय अधिवक्ता

अपील रेवेन्यू अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 256 फैसल दिनांक 24.11.1995 तहसील चित्तौड़गढ़

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोर्डेंट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ का निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। नारायण पिता मोती चमार के विरासत का नामान्तरकरण पटवार हल्का ओडून्द द्वारा जो सजरा बनाया वह सजरा गलत बनाया है सजरे में डाली नाम की नारायण की कोई बेवा नहीं है। उक्त डाली नारायण की बेवा का नाम गलत अंकित किया है जबकि डाली की जगह बाली नाम होना चाहिये था। जिससे उक्त डाली नाम हटाया जाकर अपीलांट बाली का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी प्रारम्भ से ही नारायण की बेवा है आईडी प्रुफ, आधार कार्ड सभी दस्तावेजों के साक्ष्य के रूप में इस अपील के साथ संलग्न है। विरासती इन्तकाल से प्राप्त सम्पत्ति का विनिमय अन्तरण अथवा बैंक ऋणी सुविधा भी अपीलांट इस गलत नामकरण से प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिये नाम परिशुद्धी तक विरासती नामान्तरकरण निरस्त किया जावें। नारायण की अपीलांट वैद्य वारिस होकर बेवा है। डाली नाम की कोई नारायण की वारिस नहीं है फिर भी इस प्रकार के निर्णय करने में भारी भूल की है। अंत में प्रार्थना की गई की अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 24.11.1995 निरस्त कर डाली की जगह अपीलांट बाली बेवा का नाम दर्ज रेकार्ड करा अमल दरामद कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर अपील अपीलांट् दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 23.02.2021 को अपीलांट की और से मृतक रेस्पोडेंट संख्या 2 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 का पेश किया गया। दिनांक 27.07.2021 को मृतक रेस्पोडेंट संख्या 2 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 27.07.2021 को रेस्पोडेंटगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से रेस्पोडेंटगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। रेस्पोडेंट संख्या 9 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये।

दिनांक 20.10.2021 को अधिवक्ता अपीलांट हाजिर एवं बहस पत्रावली का निवेदन किया। इस पर हाजिर अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। सर्वप्रथम उभयपक्ष को मियाद प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मियाद प्रार्थना पत्र बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं इन्तकाल की जानकारी दिनांक 31.05.2020 को होना अवगत कराया एवं तत्पश्चात् बिना किसी देरी के जानकारी के अन्दर अवधि अपील पेश की गई। इस पर राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को निर्णय दिनांक की जानकारी पूर्व से ही थी इस कारण से अपील अपीलांट को मियाद के बिन्दु पर ही खारीज किया जावें। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि अपीलांट अनपढ होकर महिला है नारायण की वैद्य वारिस है एवं मामला बडी जायदाद का है जिससे मयाद बाबत् नरमी का रूख अपनाया जाकर अपील मयाद में शुमार फरमाई जावें। इसी आशय का अपीलांट **द्वारा सच्चा शपथ-पत्र** प्रस्तुत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई समस्त देरी को कन्डोन फरमाया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावें। हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र की पुष्टि में प्रस्तुत अपीलांट के शपथ पत्र का अवलोकन किया। नैसर्गिक न्याय के अवधारणा के अनुसरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 को स्वीकार किया जाता है एवं अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई समस्त देरी को कन्डोन किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर अवधि शुमार की जाती है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मूल अपील मेमों को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ का निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। नारायण पिता मोती चमार के विरासत का नामान्तरकरण पटवार हल्का ओडून्द द्वारा जो सजरा बनाया वह सजरा गलत बनाया है सजरे में डाली नाम की नारायण की कोई बेवा नहीं है। उक्त डाली नारायण की बेवा का नाम गलत अंकित किया है जबकि डाली की जगह बाली नाम होना चाहिये था। जिससे उक्त डाली नाम हटाया जाकर अपीलांट बाली का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। इस पर राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण में समस्त तथ्यों की जांच की जाकर विधि अनुसार मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों के नाम पर नामान्तरकरण दायर कर निर्णित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज योग्य है, इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बताया अपीलार्थी प्रारम्भ से ही नारायण की बेवा है आईडी प्रुफ, आधार कार्ड सभी दस्तावेजों के साक्ष्य के रूप में इस अपील के साथ संलग्न है। विरासती इन्तकाल से प्राप्त सम्पत्ति का विनिमय अन्तरण अथवा बैंक ऋणी सुविधा भी अपीलांट इस गलत नामकरण से प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिये नाम परिशुद्धी तक विरासती नामान्तरकरण निरस्त किया जावें। नारायण की अपीलांट वैद्य वारिस होकर बेवा है। डाली नाम की कोई नारायण की वारिस नहीं है फिर भी इस प्रकार के निर्णय करने में भारी भूल की है। अंत में प्रार्थना की गई की अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 24.11.1995 निरस्त कर डाली की जगह अपीलांट बाली बेवा का नाम दर्ज रेकार्ड करा अमल दरामद कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – **"अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 256 मौजा ओडून्द पटवार हल्का ओडून्द निर्णय दिनांक 24.11.1995 विधि अनुसार निर्णित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा?"**

नामान्तरकरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121 के प्रावधान लागु होते है, जो कि इस प्रकार है–

(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was given to him to present, who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land tine caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order. Except where the mutation order relates to an entire holding and in case of undisputed inheritance, the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area.

उक्त नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी को नामान्तरकरण से संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है, हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा विवादित नामान्तरकरण से मृतक खातेदार नारायण पिता मोती के फौत हो जाने से मृतक खातेदार की जॉच किये जाने के पश्चात् मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दायर किया जा कर निर्णित किया जाना हाजिर होता है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करते समय विधि के उपाबंधों की पालना की जाकर विधिक निर्णय नियमानुसार पारित किया गया है, अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासतन नामान्तरकरण की श्रेणी का होकर उक्त नामान्तरकरण में खातेदार के फौत होने का विषय महत्वपूर्ण है एवं खातेदार के फौत हो जाने से मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दायर किया गया है, इसके साथ ही अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के विधिक वारिसान होने के संबंध में किसी भी प्रकार से उज्र–एतराज नहीं किया गया है, जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 256 निर्णय दिनांक 24.11.1995 का निर्णित किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही संपादित की गई है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि अनुसार निर्णित किया गया है, ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 256 निर्णय दिनांक 24.11.1995 के निर्णय में किसी भी प्रकार से काई त्रुटि किया जाना परिलक्षित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण के संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, किन्तु अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण के संबंध में केवल डाली बेवा नारायण के स्थान पर सही नाम बाली बेवा नारायण होना अवगत कराया गया है इस संबंध में अपीलांट द्वारा परिवार राशन बारकोड संख्या **20000078105**, वोटर आईडी कार्ड **RJ/19/124/045174** एवं आधार कार्ड **9483 1221 8352** की छाया प्रति प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण में मूल तथ्य केवल नाम का होना जाहिर होता है जिसमें डाली के स्थान बाली सही होना अवगत कराया गया है। इस तथ्य में डाली एवं बाली का ध्वनात्मक उच्चारण का ही अन्तरण प्रतीत होता है, इसके साथ ही अपीलांट द्वारा अपना सही नाम बाली होने बाबत् दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो कि शामिल पत्रावली है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 256 में आंशिक संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 256 निर्णय दिनांक 24.11.1995 मौजा ओडून्द पटवार हल्का ओडून्द तहसील चित्तौड़गढ़ में आंशिक संशोधन किया जाता है एवं डाली के स्थान बाली किये जाने के आदेश दिया जाता है शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 20.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ताराचन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official